रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-73 REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977/MAGHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

का० नि० आ० 43—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1 (1) इन नियमों का नाम साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) संशोधन नियम, 1977 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 के नियम 8 के उपनियम (1) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।

[मामला सं० 19 (12)/76/डी (सिव-II)]
[वित्त मंत्रालय (रक्षा) यू० ओ० सं० 3032-पी० ए० 76]

एस० आर० गुरुस्वामी, उप सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 3rd December, 1976

S.R O 43.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960, namely :—

1 (1) These rules may be called the General Provident Fund (Defence Services) Amendment Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gagette

2 In the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960, the second proviso to sub-rule (1) of rule 8 shall be omitted

[Case No. 19(12)/76/D(Civ-II)]
[Min of Fin (Def) u o No 3032-PA of 76]
S R GURUSWAMY, Dy Secy

आयुद्ध कारखानों का महानिदेशालय मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम 1977

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का० नि० आ० 44—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा महानिदेशालय, आयुद्ध कारखाना (श्रेणी 3 के पद) भर्ती नियम 1971 का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ —(1) इन नियमों का नाम आयुद्ध कारखाना, महानिदेशालय मुख्यालय लिपिक सेवा नियम, 1977 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. परिभाषाएं —इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) 'नियत दिन' से इन नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अभिप्रेत है,

138 GI/76—1

(ख) किसी ग्रेड के संबंध में 'नियोक्ता प्राधिकारी' से वह प्राधिकारी अभिप्रेत है जो उस ग्रेड में नियुक्तियां करने के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन सशक्त है,

(ग) किसी ग्रेड के संबंध में 'अनुमोदित सेवा' से उस ग्रेड में दीर्घ-कालिक नियुक्ति के लिए, विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रवरण के पश्चात् उस ग्रेड में की गई सेवा की कालावधि या कालावधियां अभिप्रेत है और इसमें कोई ऐसी कालावधि या कालावधियां भी आती हैं जिसके या जिनके दौरान उस ग्रेड में किसी आफिसर ने कर्तव्य पद धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर न होता,

(घ) किसी ग्रेड के संबंध में 'प्राधिकृत पद संख्या' से उस ग्रेड में अधिष्ठायी रूप से या अस्थायी रूप से भी स्वीकृत पदों की संख्या अभिप्रेत है।

(ङ) 'सीधा भर्ती व्यक्ति' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो कारखानों के महानिदेशालय द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किया गया है,

(च) किसी ग्रेड के संबंध में 'कर्तव्य पद' से उस ग्रेड का स्थायी या अस्थायी पद अभिप्रेत है;

(छ) 'विभागीय पदोन्नति समिति' से वह समिति अभिप्रेत है जो उच्च श्रेणी लिपिकों और अवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर पदोन्नति के लिए सिफारिश करने को बनाई गई है। इसमें निम्नलिखित होंगे —

1 आयुध कारखानों के अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक	अध्यक्ष
2 आयुध कारखानों के सहायक महानिदेशक	सदस्य
3 आयुध कारखानों के सहायक महानिदेशक	सदस्य

(ज) 'विद्यमान ग्रेड' से नियम 9 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) के नीचे सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट और नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान ग्रेड अभिप्रेत है,

(झ) 'सरकार' से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है,

(ञ) 'ग्रेड' से नियम 3 में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से कोई अभिप्रेत है,

(ट) 'दीर्घ कालिक नियुक्ति' से अनिश्चित कालावधि के लिए नियुक्ति अभिप्रेत है जो पूर्णतया अस्थायी या तदर्थ आधार पर नियुक्ति, जैसे, छुट्टी पर या विनिर्दिष्ट अस्तित्वावधि की अन्य स्थानीय रिक्ती पर नियुक्ति सुभिन्न है,

(ठ) किसी ग्रेड के संबंध में 'स्थायी आफिसर' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अधिष्ठायी रिक्ती पर अधिष्ठायी तौर से नियुक्त किया गया है,

(ड) 'परिवीक्षाधीन व्यक्ति' से वह सीधा भर्ती व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे किसी ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्ती पर, परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया हो—

(ढ) 'अनुसूची' से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है,

(ण) 'चयन बोर्ड' से वह बोर्ड अभिप्रेत है जिसकी नियुक्ति उच्च श्रेणी लिपिकों तथा अवर श्रेणी लिपिकों के पदों पर भर्ती के लिए और आमेलन के लिए व्यक्तियों का चयन करने के लिए की गई है। इसमें निम्नलिखित अधिकारी होंगे —

(1) आयुध कारखानों के उप महानिदेशक/आयुध कारखानों के सहायक महानिदेशक—अध्यक्ष

(2) वरिष्ठ उप सहायक महानिदेशक/उप सहायक महानिदेशक—सदस्य

(3) वरिष्ठ उप सहायक महानिदेशक/उप सहायक महानिदेशक—सदस्य

(त) 'सेवा' से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों में से किसी एक में आयुध कारखाना महानिदेशालय मुख्यालय लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है जिसमें उच्च श्रेणी ग्रेड और अवर श्रेणी ग्रेड के पद होंगे,

(थ) किसी ग्रेड के संबंध में 'अस्थायी अधिकारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ग्रेड में अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्ति को, ऐसी नियुक्ति के लिए नियमित रूप से अपने अनुमोदित होने के आधार पर, धारण कर रहा है।

3. सेवा की संरचना —सेवा में दो ग्रेड होंगे, अर्थात् —

(i) उच्च श्रेणी ग्रेड, और

(ii) अवर श्रेणी ग्रेड।

(2) दोनों ग्रेडों के पद केन्द्रीय सिविल सेवा, वर्ग 'ग'—लिपिक वर्गीय के रूप में वर्गीकृत अराजपत्रित पद होंगे।

4. सेवा की प्राधिकृत पद संख्या —(1) (क) सेवा के दोनों ग्रेडों की नियत दिन पर प्राधिकृत पद संख्या द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी —

परन्तु यदि नियत दिन से पूर्वतर किसी दिन से अतिरिक्त पद उपलब्ध हो जाते हैं तो सरकार ऐसे पदों को द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पद संख्या में सम्मिलित करेगी।

(2) नियत दिन के पश्चात् सेवा के दोनों ग्रेडों की प्राधिकृत स्थायी पद संख्या और अस्थायी पद संख्या वही होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाए।

5. सेवा में पद का सम्मिलित किया जाना —प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों में किसी पद को कैडर में सम्मिलित किया जा सकेगा यदि ऐसे पद से संबद्ध कृत्य ऐसे हैं जिनके लिए सरकार की राय में ऐसे पद के धारक के लिए सारत: वही अर्हताएं, प्रशिक्षण और अनुभव अपेक्षित है जो सेवा में कर्तव्य पदों के धारकों के लिए आवश्यक है।

6. सेवा से कर्तव्य पद का अपवर्जन —किसी ग्रेड में कोई कर्तव्य पद सरकार द्वारा सेवा से अपवर्जित घोषित किया जा सकता है यदि ऐसे पद को तत्समय, विशेष या तकनीकी अर्हताएं या अनुभव रखने वाले व्यक्ति की नियुक्ति करके भरना अपेक्षित है और वह पद सेवा से तब तक अपवर्जित रहेगा जब तक कि ऐसी घोषणा प्रवृत्त रहती है।

7. कर्तव्य पद का ग्रेड अधिकारी द्वारा धारण किया जाना —हर कर्तव्य पद समुचित ग्रेड के अधिकारी द्वारा धारण किया जाएगा सिवाय तब जब वह नियम 6 के अधीन सेवा से अपवर्जित घोषित कर दिया गया हो या किसी कारण से आस्थगित रखा गया हो।

8. सेवा में अधिष्ठायी नियुक्तियां —सेवा में सभी अधिष्ठायी नियुक्तियां सेवा के समुचित ग्रेड में की जाएंगी न कि उस ग्रेड में किसी विनिर्दिष्ट कर्तव्य पद पर।

9. आरम्भिक गठन —(1) सेवा के आरम्भिक गठन पर उसमें सभी स्थायी और अस्थायी कर्तव्य पदों पर नियुक्तियां विभागीय अभ्यर्थियों में से की जाएंगी। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को विभागीय अभ्यर्थी समझा जाएगा, अर्थात् —

(क) जो व्यक्ति सेवा के आरम्भिक गठन की तारीख को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों के संयुक्त रोस्टर में उच्च श्रेणी लिपिक के पदों का, समुचित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार किए गए पैनल के अनुसार, नियमित आधार पर उन पदों पर नियुक्त होकर धारण कर रहे हों,

(ख) जो व्यक्ति सेवा के आरम्भिक गठन की तारीख को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों के संयुक्त रोस्टर में अवर

श्रेणी लिपिक के पदों को, उन पर नियमित आधार पर नियुक्त होकर धारण कर रहे हों, और

(ग) जो व्यक्ति सेवा आरम्भिक गठन की तारीख को खण्ड (क) और (ख) में वर्णित पदों में से किसी को स्थायी या स्थायीवत् या अस्थायी हैसियत में धारण कर रहे हों, चाहे वे उस तारीख को कहीं भी नियोजित क्यों नहीं हों,

सेवा के प्रत्येक ग्रेड के गठन के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित साधारण सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात् —

(क) उच्च श्रेणी ग्रेड और अवर श्रेणी ग्रेड के कर्तव्य-पद अवयव पद माने जाएंगे;

(ख) प्रथम अनुसूची जो नियम में उल्लिखित है, में वर्णित मुख्यालयों के विद्यमान ग्रेडों को सारणी के स्तम्भ (1) सेवा के उन ग्रेडों के समतुल्य माना जाएगा जो उसके स्तम्भ (2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में वर्णित है; अर्थात् —

सारणी

प्रथम अनुसूची में वर्णित मुख्यालयों में विद्यमान ग्रेड	सेवा के ग्रेड
(1) उच्च श्रेणी लिपिक	उच्च श्रेणी लिपिक
(2) अवर श्रेणी लिपिक	अवर श्रेणी लिपिक

(3) (क) अधिष्ठायी हैसियत से उच्च श्रेणी लिपिक के पद धारण करने वाले व्यक्ति नियत दिन से सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड में अधिष्ठायी हैसियत से नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(ख) अधिष्ठायी हैसियत से अवर श्रेणी लिपिक के पद धारण करने वाले व्यक्ति नियत दिन से सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड में अधिष्ठायी हैसियत से नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

(4) (क) स्थानापन्न हैसियत से उच्च श्रेणी लिपिक के पद धारण करने वाले व्यक्ति नियत दिन से सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड में स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किए गए समझे जाएंगे.

परन्तु उन व्यक्तियों की नियुक्ति जो नियत दिन को निम्न श्रेणी ग्रेड में अधिष्ठायी हैसियत से पद धारण नहीं करते हों, उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो उन्हें नियत दिन के पूर्व लागू थी।

(ख) स्थानापन्न हैसियत से अवर श्रेणी लिपिक के पद धारण करने वाले व्यक्ति नियत दिन सेवा की अवर श्रेणी ग्रेड में स्थानापन्न हैसियत से नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

परन्तु उन्हें इस सेवा में रखने के लिए वही शर्तें लागू होंगी जो उन्हें नियत दिन से पूर्व लागू थी।

(5) वे अधिकारी, जो नियत दिन के पूर्व, अपने विद्यमान ग्रेडों में परिवीक्षाधीन थे किन्तु जिन्होंने नियत दिन को परिवीक्षा की कालावधि पूरी नहीं की थी तब तक परिवीक्षाधीन रहेंगे जब तक वे सेवा की समतुल्य श्रेणी में परिवीक्षा की शेष कालावधि पूरी नहीं कर लेते।

(6) सेवा का आरम्भिक गठन नियत दिन से प्रभावी होगा।

10 भविष्य में सेवा का बनाए रखा जाना —(1) सेवा भविष्य में तृतीय अनुसूची में उपदर्शित रूप से बनाई रखी जाएगी।

(2) छह माह तक की अल्पकालिक रिक्तियों में स्थानापन्न प्रोन्नतियां ऐसे पात्र व्यक्तियों की पोन्नति द्वारा की जा सकेंगी जिन्होंने उस ग्रेड में, जिससे प्रोन्नति की जानी है, कम से कम तीन वर्ष तक अनुमोदित सेवा (जिसमें समतुल्य विद्यमान ग्रेड में सेवा भी है) की है।

11 कतिपय दशाओं में शिथिल करने की शक्ति —तृतीय अनुसूची में वर्णित किसी बात के होते हुए भी, आयुध कारखाना के महानिदेशक किसी एक वर्ष में अवर श्रेणी ग्रेड में होने वाली रिक्तियों के 5 प्रतिशत तक पदों में उस सरकारी सेवक के पुत्र या पुत्री या पत्नी या पति या भाई या बहिन को, इन नियमों में की गई व्यवस्था से भिन्न प्रकार से नियुक्त कर सकते हैं जिसकी मृत्यु सेवा की अवधि के दौरान हो जाए या जिन्हें सिविल सेवा विनियम के अनुच्छेद 452 तथा 454 के साथ पठित अनुच्छेद 141 के अन्तर्गत, चिकित्सा के आधार पर सेवा निवृत्त कर दिया जाए।

12 अधिष्ठायी रिक्तियों में अस्थायी नियुक्तियां करने की शक्ति —कोई अधिष्ठायी रिक्त सुसंगत ग्रेड में अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति शासित करने वाले उपबन्धों के अनुसार अस्थायी रूप से तब तक के लिए भरी जा सकेंगी जब तक यह स्थायी नियुक्तियां शासित करने वाले उपबन्धों के अनुसार नहीं भर दी जाती।

13 परिवीक्षा —(1) सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में सीधे भर्ती किया गया हर व्यक्ति आरम्भ में परिवीक्षा के अधीन नियुक्त किया जाएगा। परिवीक्षा की कालावधि नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष होगी।

(2) हर एक व्यक्ति उच्च श्रेणी ग्रेड में प्रथम बार नियुक्त किए जाने पर नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक परिवीक्षा के आधीन रहेगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि—यदि नियोक्ता अधिकारी ठीक समझे, किसी भी मामले में बढ़ाई जा सकेगी या की जा सकेगी, किन्तु परिवीक्षा के विस्तार की कुल कालावधि, सिवाय वहां जहां वह अधिकारी के विरुद्ध लम्बित किन्हीं विभागीय या विधिक कार्यवाहियों के कारण अवश्य हो, एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) परिवीक्षा के दौरान सेवा के किसी सदस्य से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जैसी सरकार समय-समय पर विहित करे।

14 परिवीक्षाधीन व्यक्तियों की पुष्टि अथवा उनका सेवा में रहे आना —(1) अवर ग्रेड में परिवीक्षा के अधीन नियुक्त किए गए सेवा के सदस्य ने विहित परीक्षा यदि कोई हो (इसमें आयुध कारखानों के महानिदेशालय के चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली टकण परीक्षा भी है) उत्तीर्ण कर ली हो या सरकार ने उसे शारीरिक अशक्तता के कारण टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से विनिर्दिष्ट रूप से छूट दे दी हो और उसने नियोक्ता अधिकारी के समाधानप्रद रूप से अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो, तो वह तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार, यथा स्थिति उसमें अधिष्ठायी हैसियत से नियुक्त किए जाने का या बने रहने का पात्र होगा।

(2) (क) जब अवर श्रेणी ग्रेड के किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने विहित परीक्षा यदि कोई हो (जिसमें उसके मामले में लागू भर्ती के नियमों के अनुसार आयुध कारखानों के महानिदेशालय के चयन बोर्ड द्वारा ली जाने वाली टकण परीक्षा भी है) उत्तीर्ण कर ली हो या सरकार ने उसे शारीरिक अशक्तता के कारण टकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से विनिर्दिष्ट रूप से छूट दे दी हो और उसने नियोक्ता अधिकारी के समाधानप्रद रूप से अपनी परिवीक्षा पूरी कर ली हो, तब वह उस ग्रेड में पुष्टि का पात्र होगा।

(ख) जब तक किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को इस नियम के अधीन पुष्ट नहीं कर दिया जाता या उसे सेवा में बने नहीं रहने दिया जाता या नियम 15 के अधीन सेवामुक्त नहीं कर दिया जाता या प्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता तब तक उसकी हैसियत परिवीक्षाधीन व्यक्ति की ही रहेगी।

15 परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवोन्मुक्ति या प्रत्यावर्तन —(1) सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड मे नियुक्त किया गया कोई अधिकारी जो सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर कोई धारणाधिकार नही रखता है, परिवीक्षा के दौरान किसी भी समय सूचना के बिना सेवा से उन्मोचित किए जाने के दायित्वाधीन होगा यदि —

(1) परिवीक्षा के दौरान उसके कार्य के या आचरण के आधार पर वह सेवा में और रखे रहे जाने के अयोग्य समझा जाता है, या

(2) उसकी शारीरिकता, आयु, स्वास्थ्य या पूर्ववृत्त मे सबधित किसी जानकारी की प्राप्ति पर, नियोक्ता प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि वह सेवा का सदस्य होने के लिए अपात्र है या अन्यथा अयोग्य है।

(2) सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में नियुक्त कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी जो सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर धारणाधिकार रखता है, उप-नियम (1) मे विनिर्दिष्ट परिस्थितियो मे से किसी मे किसी भी समय ऐसे पद पर प्रतिवर्तित किया जा सकता है।

(3) सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड मे नियुक्त किया गया कोई अधिकारी जो नियम 13 के उप नियम (1) में विहित परिवीक्षा की कालावधि की समाप्ति या उसके दौरान या उस नियम के उप नियम (3) के अधीन परिवीक्षा की विस्तारित कालावधि, यदि कोई हो, की समाप्ति पर, उस ग्रेड में बने रहने के लिए उपयुक्त नही समझा जाता, उप नियम (1) या उप नियम (2) के अनुसार, यथास्थिति, उन्मोचित या प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(4) उच्च श्रेणी ग्रेड में परिवीक्षाधीन सेवा का सदस्य, जो नियम 13 के उप नियम (2) मे विहित परिवीक्षा की कालावधि की, या उस नियम के उप नियम (3) के अधीन विस्तारित कालावधि की, यदि कोई हो, समाप्ति पर या उसके दौरान उस ग्रेड में बने रहने के लिए उपयुक्त नही समझा जाता है, निम्न श्रेणी ग्रेड मे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

16 ज्येष्ठता —किसी ग्रेड के आरम्भिक गठन में सम्मिलित सभी स्थायी अधिकारी नियत दिन के पश्चात् किसी तारीख से उस ग्रेड मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए सभी व्यक्तियो से रैंक में ज्येष्ठ होगे और किसी ग्रेड के आरम्भिक गठन मे सम्मिलित सभी अस्थायी अधिकारी नियत दिन के पश्चात् किसी तारीख से उस ग्रेड में नियुक्त किए गए सारे अस्थायी अधिकारियो से रैंक मे ज्येष्ठ होगे।

परन्तु यदि ऐसे अधिकारियो मे से किसी की ज्येष्ठता नियत दिन से पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नही की गई हो, तो वह सरकार द्वारा अवधारित के अनुसार होगी।

(2) किसी ग्रेड के आरम्भिक गठन में सम्मिलित अस्थायी अधिकारियो की परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से विनियमित की जाएगी जिसमे वे समतुल्य विद्यमान ग्रेड मैं नियुक्त किये गये थे.—

परन्तु यदि ऐसे अधिकारियो मे से किसी की ज्येष्ठता नियत दिन से पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नही की गई हो तो वह सरकार द्वारा अवधारित के अनुसार होगी।

(3) उप नियम (4) मे यथा उपबन्धित के सिवाय यह है कि नियत दिन के पश्चात् सेवा के दो ग्रेडो में नियुक्त किए गए व्यक्तियो की ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, अर्थात —

I उच्च श्रेणी ग्रेड

(i) स्थायी अधिकारी —नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड मे अधिष्ठायी रूप मे नियुक्त किए गए अधिकारियो की परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम में विनियमित की जाएगी, जिसमे वे उस ग्रेड मे ऐसे नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) अस्थायी अधिकारी —नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड मे नियुक्त किए गए अस्थायी अधिकारियो की परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से विनियमित की जाएगी जिसमे वे दीर्घकालिक आधार पर उस ग्रेड में ऐसे नियुक्त किए जाते है।

II अवर श्रेणी ग्रेड

(i) स्थायी अधिकारी —नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए अधिकारियो की परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से विनियमित की जाएगी, जिसमे वे उस श्रेणी मे ऐसे नियुक्त किए जाते है।

(ii) अस्थायी अधिकारी —(क) नियत दिन के पश्चात् किसी ग्रेड मे नियुक्त किए गए व्यक्तियो की परस्पर रैंक गुणागुण के आधार से होगी जिसमे वे उस प्रतियोगिता परीक्षा मे रखे जाने है, जिसके परिणामस्वरूप वे भर्ती किए जाते हैं। पूर्वतर परीक्षा मे भर्ती किए गए व्यक्तियो को तदनन्तर भर्ती किए गए व्यक्तियो से जेष्ठ रैंक दी जाएगी

परन्तु तृतीय अनुसूची मे 'अवर श्रेणी ग्रेड (श्रेणी ग लिपिक वर्गीय)' के सामने 'अस्थायी रिक्तियां' शीर्ष के अन्तर्गत स्तम्भ 3 मे खण्ड (क) के अधीन किसी विशिष्ट वर्ष मे ली गई प्रतियोगिता परीक्षा मे उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियो को उसी के खण्ड (ख) के अधीन ली गई प्रतियोगिता परीक्षा मे उत्तीर्ण अभ्यर्थियो से कनिष्ठ रैंक दी जाएगी।

(ख) नियम 11 के अनुसार किसी ग्रेड मे नियुक्त किए गए व्यक्तियो को परस्पर उनकी नियुक्ति की तिथियो के अनुसार रैंक दी जाएगी

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ष मे इस प्रकार नियुक्त सभी व्यक्तियों को उसी वर्ष ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओ के आधार पर नियुक्त व्यक्तियो मे कनिष्ठ रैंक दी जाएगी।

(4) किसी ग्रेड मे अधिष्ठायी रूप से नियुक्त किए गए सभी अधिकारी उस ग्रेड मे अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां धारण करने वाले व्यक्तियो से ज्येष्ठ रैंक के होंगे।

17 वेतन —सेवा के दोनो ग्रेडो के वेतनमान निम्नलिखित होगे, अर्थात् —

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड	330-10-380-दं०रो०-12-500-दं०रो० 15-560 रु०
(2) अवर श्रेणी ग्रेड	260-6-290-दं०रो०-6-326-दं०रो०-8-390-10-400 रु०

परन्तु 1 जनवरी, 1973 से पूर्व किसी ग्रेड मे नियुक्त अधिकारी उसी वेतनमान को पाने के हकदार होगे जो उन्हे रक्षा सेवा मे सिविलियन (सशोधित वेतन) नियम, 1973 मे किए उपबधो के अनुसार अनुज्ञेय है।

18 वेतन का विनियमन —दोनो ग्रेडो के अधिकारियो के वेतन और वेतनवृद्धियां सिविल सेवा विनियमो या वेतन से सबधित अन्य तत्समय प्रवृत्त नियमो के अनुसार विनियमित होंगे।

19 विनियम —सरकार इन नियमो को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, उन सभी विषयो के लिए उपबन्ध करने के लिए जिनके लिए उपबन्ध आवश्यक या समीचीन है, ऐसे विनियम बना सकेगी जो इन नियमो से असंगत न हो।

20 प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विनियम —तृतीय अनुसूची मे विनिर्दिष्ट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम ऐसे होंगे जैसे आयुध कारखानो के महानिदेशक द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित हो।

21 अवशिष्ट विषय —उन विषयो के बारे मे, जो इन नियमो के या उनके अधीन बनाए या जारी किए गए विनियमो अथवा आदेशो के या विशेष आदेशों के अन्तर्गत विनिर्दिष्टतया नहीं आते है, सेवा के सदस्य

साधारणतया सिविल सेवाओं को लागू नियमों, विनियमों और आदेशों से शासित होंगे।

22 शिथिल करने की शक्ति —जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आदेश द्वारा, व्यक्तियों या पदों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी को शिथिल कर सकती है।

23 निर्वचन —यदि इन नियमों या उनके अधीन बनाए गए विनियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उठता है, तो वह विनिश्चय के लिए सरकार को निर्देशित किया जाएगा।

24 नियमों का अध्याधरोही प्रभाव —नियत दिन से ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई नियम या आदेश वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक कि वे इन नियमों से असंगत या इनके विरुद्ध है।

25 व्यावृत्ति —इन नियमों की किसी बात का कोई प्रभाव अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार आरक्षणों तथा अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा।

प्रथम अनुसूची

[नियम 2(ख), 5, 9, और तृतीय अनुसूची देखिए]

उन मुख्यालयों के नाम जिनको महानिदेशालय आयुध कारखाना मुख्यालय लिपिकीय सेवा लागू होगी।

मुख्यालय:

1 महानिदेशालय, आयुध कारखाना मुख्यालय।

2 अपर महानिदेशक, आयुध कारखाना/आयुध उपस्कर कारखाना मुख्यालय, कानपुर।

3 क्षेत्रीय निदेशक, आयुध कारखाना (पूर्वी क्षेत्र), कलकत्ता।

4 क्षेत्रीय निदेशक, आयुध कारखाना (उत्तरी क्षेत्र), कानपुर।

5 क्षेत्रीय निदेशक, आयुध कारखाना (मध्य क्षेत्र), खमरिया, जबलपुर।

6 क्षेत्रीय निदेशक, आयुध कारखाना (पश्चिम क्षेत्र), किरकी, पूना।

7 आयुध कारखाना सैल, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।

द्वितीय अनुसूची

(नियम 4 देखिए)

महानिदेशालय आयुध कारखाना मुख्यालय लिपिकीय सेवा के विभिन्न ग्रेडों की प्राधिकृत पद संख्या

ग्रेड	प्राधिकृत स्थायी पद संख्या
(1) उच्च श्रेणी ग्रेड	206
(2) अवर श्रेणी ग्रेड	261 (जिसमें 27 छुट्टी के लिए आरक्षित पद भी है)

तृतीय अनुसूची

[नियम 10, 11, 14(1) और 16 देखिए]

सेवा का भविष्य में बनाए रखना

ग्रेड और वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती	पात्रता शर्त	परिवीक्षा
1	2	3	4	5
उच्च श्रेणी (वर्ग-ग-लिपिक वर्गीय)	330-10-380-द०रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	अधिष्ठायी रिक्तियां अधिष्ठायी रिक्तियों में अधिष्ठायी नियुक्तियां ग्रेडों के उन अस्थायी अधिकारियों की ज्येष्ठता के क्रम में, जिन्होंने परिवीक्षा की कालावधि समाधानप्रद रूप में पूरी कर ली हो, अयोग्य को छोड़ते हुए उपयुक्त विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर की जायेगी।		

1	2	3	4	5
		अस्थायी रिक्तियां		
		अस्थायी रिक्तियां ज्येष्ठता के आधार पर अवर श्रेणी ग्रेडों में से प्रोन्नति द्वारा अयोग्य को छोड़ते हुए, उपयुक्त विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश पर भरी जाएंगी परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामलों पर विचार करते समय सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके लिए आरक्षण किया जाएगा ।	अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्तियां धारण करने वाले व्यक्ति जिन्होंने इन ग्रेडों में या समान विद्यमान ग्रेड में 5 वर्ष की लगातार अनुमोदित सेवा से अन्यून सेवा की है ।	2 वर्ष
अवर श्रेणी ग्रेड (वर्ग-ग-लिपिक वर्गीय)	260-6-290 व०रो०-6 326-8-366-व०रो-8-390-10-400 रु०	अधिष्ठायी रिक्तियां ग्रेड में अधिष्ठायी रिक्तियां ग्रेड के उन अस्थायी अधिकारियों में से, जिन्होंने या तो उस श्रेणी के लिए चयन बोर्ड द्वारा उस ग्रेड के लिए उन भर्ती नियमों या अन्य अनुदेशों के अनुसार आयोजित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है जो महानिदेशालय आयुध कारखाना मुख्यालय लिपिकीय सेवा नियम, 1977 के जारी होने से पूर्व लागू थे या उसके लिए निदेशालय, आयुध कारखाना द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से छूट दे दी गई है और जिन्होंने परिवीक्षा की कालावधि समाधानप्रद रूप से पूरी कर ली है, उनको ज्येष्ठता के क्रम में, अयोग्य को छोड़ते हुए भरी जाएंगी परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों के मामलों पर विचार करते समय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार उनके लिए आरक्षण किया जाएगा ।		
		अस्थायी रिक्तियां अस्थायी रिक्तियां निम्न प्रकार से भरी जाएंगी , अर्थात् :— (क) दस प्रतिशत रिक्त पदों को प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मुख्यालयों के नियमित स्थापना के महानिदेशक, आयुध कारखाना द्वारा इस प्रयोजन के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर 'ब' श्रेणी के कर्मचारियों से भरा जाएगा :		

1	2	3	4	5
		परन्तु यदि पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्तियों को खण्ड (ख) में वर्णित प्रणाली के अनुसार भरा जाएगा । (ख) 90 प्रतिशत रिक्तियां या उक्त खण्ड (क) के परन्तुक के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित और अधिक प्रतिशत रिक्तियां महानिदेशक, आयुध कारखाना द्वारा इस प्रयोजन के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरी जाएंगी । टिप्पणी —सीधी भर्ती के लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों के आरक्षित कोटे में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों और आदेशों के अनुसार आरक्षण होगा ।		

[फाइल संख्या 10(1)75/1/डी (फैक्टरी-1) वोल्यूम-II]

एस० के० भटनागर, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 31st January, 1977

THE DIRECTORATE GENERAL ORDNANCE FACTORIES HEADQUARTERS CLERICAL SERVICE RULES, 1977

S.R.O. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Directorate General, Ordnance Factories (Class III Posts) Recruitment Rules, 1971, the President hereby makes the following rules, namely :—

1 Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate General Ordnance Factories Headquarters Clerical Service Rules, 1977

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2 Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "appointed day" means the date of publication of these rules in the Official Gazette ;

(b) "appointing authority" in relation to any Grade means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to make appointments to that Grade ,

(c) "approved service" in relation to any Grade means the period or periods of service in that Grade rendered after selection, according to prescribed procedure for long-term appointment to the Grade, and includes any period or periods during which an officer would have held duty post in that Grade but for his being on leave or otherwise not being available for holding such post ,

(d) "authorised strength" in relation to any Grade means the strength of posts in that Grade sanctioned substantively as well as in temporary capacity ,

(e) "direct recruit" means a person recruited to the Lower Division Grade on the basis of a competitive examination held by the Directorate General, Ordnance Factories ;

(f) "duty post" in relation to any Grade means a permanent or temporary post of that Grade ;

(g) "Departmental Promotion Committee" means the Committee appointed to make recommendations for promotion to the posts of Upper Division Clerks and Lower Division Clerks comprising the folowing :—

1	Additional Director General Ordnance Factories/Deputy Director General, Ordnance Factories.	—Chairman
2	Assistant Director General Ordnance Factories	—Member
3	Assistant Director General Ordnance Factories	—Member

(h) "existing Grade" means a Grade specified in column (1) of the Table below clause (b) of sub-rule (2) of rule 9 and existing immediately before the appointed day ,

(i) "Government" means the Central Government ,

(j) "Grade" means any of the Grades specified in rule 3 ,

(k) "long-term appointment" means appointment for an indefinite period as distinguished from a purely temporary or ad-hoc appointment, like appointment against a leave or other local vacancy of a specified duration ,

(l) "permanent officer" in relation to any Grade means a person who has been substantively appointed to a substantive vacancy in that Grade;

(m) "probationer" means a direct recruit appointed to a Grade on probation against a substantive vacancy,

(n) "Schedule" means a Schedule to these rules;

(o) "Selection Board" means the Board appointed for selecting persons for recruitment and absorption for the posts of Upper Division Clerks and Lower Division Clerks comprising the following:—

1. Deputy Director General, Ordnance Factories/Assistant Director General, Ordnance Factories.	—Chairman
2. Senior Deputy Assistant Director General/Deputy Assistant Director General	—Member
3. Senior Deputy Assistant Director General/Deputy Assistant Director General	—Member

(p) "Service" means the Directorate General Ordnance Factories Headquarters Clerical Service comprising posts in the Upper Division Grade and Lower Division Grade in any of the Headquarters specified in the First Schedule;

(q) "temporary officer" in relation to any Grade means a person holding a temporary or officiating appointment in that Grade on the basis of his being regularly approved for such appointment.

3 Composition of the Service.—(1) There shall be two Grades in the Service, namely:—

(i) Upper Division Grade; and

(ii) Lower Division Grade

(2) The posts in both the Grades shall be non-gazetted posts classified as Central Civil Service, Group 'C' Ministerial

4 Authorised strength of the Service.—(1) (a) The authorised strength of the two Grades of the Service on the appointed day shall be as specified in the Second Schedule

Provided that if additional posts become available from a day earlier than the appointed day the Government shall include such posts in the authorised strength specified in the Second Schedule

(2) After the appointed day, the authorised permanent strength and the temporary strength of the two Grades of the Service shall be such as may, from time to time, be determined by the Government

5 Inclusion of a post in the Service.—Any posts in the Headquarters specified in the First Schedule may be encadred if the functions attached to such post are such as require, in the opinion of the Government, the holder of the post to possess substantially the same qualifications, training and experience as those necessary for the holders of duty posts in the Service

6 Exclusion of duty post from the Service.—Any duty post in a Grade may be declared by the Government to be excluded from the Service, if such a post is required, for the time being, to be filled by the appointment of a person possessing special or technical qualifications or experience and the post shall remain excluded from the Service so long as such declaration remains in force

7 Duty post to be held by Grade Officer.—Every duty post shall unless declared to be excluded from the Service under rule 6, or held in abeyance for any reason, be held by an officer of the appropriate Grade

8. Substantive appointments in the Service.—All substantive appointments in the service shall be made to the appropriate Grade of the service and not against any specified duty post in that Grade

9 Initial constitution.—(1) Appointments against all permanent and temporary duty posts in the Service at its initial constitution shall be made from amongst departmental candidates and the following persons shall be considered as departmental candidates for this purpose, namely:—

(a) Persons who, on the date of initial constitution of the Service, hold posts of Upper Division Clerks on the combined roster of the Headquarters specified in the First Schedule having been appointed thereto on a regular basis in accordance with the panels prepared by the appropriate Departmental Promotion Committee;

(b) persons who, on the date of initial constitution of the Service, hold posts of Lower Division Clerk on the combined roster of the Headquarters specified in the First Schedule having been regularly appointed thereto; and

(c) persons who, on the date of initial constitution of the Service, hold any of the posts mentioned in clauses (a) and (b) in a permanent or quasi-permanent or temporary capacity, wherever they may be employed on that date.

(2) For the purpose of constitution of each Grade of the Service the following general principles shall be observed, namely:—

(a) duty posts in the Upper Division Grade and Lower Division Grade shall be treated as non-selection posts;

(b) the existing Grades in the Headquarters specified in the First Schedule and mentioned in column (1) of the Table below shall be treated as equivalent Grades of the Service mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely —

TABLE

Existing grade in headquarters specified in the first Schedule		Grade of the service
	(1)	(2)
(i)	Upper Division Clerk	Upper Division grade
(ii)	Lower Division Clerk	Lower Division grade

(3) (a) Persons holding the posts of Upper Division Clerk in substantive capacity shall be deemed to have been appointed to Upper Division Grade of the Service in a substantive capacity with effect from the appointed day.

(b) Persons holding the posts of Lower Division Clerk in a substantive capacity shall be deemed to have been appointed to Lower Division Grade of the Service in a substantive capacity with effect from the appointed day

(4) (a) Persons holding the posts of Upper Division Clerk in an officiating capacity shall be deemed to have been appointed to Upper Division Grade of the Service in an officiating capacity with effect from the appointed day

Provided that the appointment of persons, who on the appointed day do not hold the posts in the Lower Division Grade in a substantive capacity shall be subject to the same conditions as were applicable to them before the appointed day

(b) Persons holding the posts of lower Division Clerk in an officiating capacity shall be deemed to have been appointed to Lower Division Grade of the service in an officiating capacity with effect from the appointed day

Provided that their retention in service shall be subject to the same conditions as were applicable to them before the appointed day

(5) Officers who had been placed on probation in their existing Grades before the appointed day but had not completed the period of probation on the appointed day shall continue to be on probation until they complete the remaining period of probation in the equivalent Grade of the service

(6) The initial constitution of the service shall be effective from the appointed day.

10 Future maintenance of the Service.—(1) The Service shall be maintained in future in accordance with the provisions contained in the Third Schedule.

(2) Officiating promotions in short term vacancies not exceeding six months may be made by promotion of eligible persons who have rendered not less than three years' approved service in the Grade (including service in the equivalent existing Grade) from which promotion is to be made.

11 Power to relax in certain cases.—Notwithstanding anything contained in the Third Schedule, the Director General, Ordnance Factories, may fill not more than 5 per cent of the vacancies in the Lower Division Grade arising in a year, otherwise than as provided for in these rules, by appointment of a son or daughter or wife or husband or brother or sister of a Government Servant who dies during the period of his service or is retired on medical grounds under Articles 441 read with Articles 452 and 454 of the Civil Service Regulations

12 Power to make temporary appointments against substantive vacancies.—A substantive vacancy may be filled temporarily in accordance with the provisions governing appointments to temporary vacancies in the relevant Grade until it is filled in accordance with the provisions governing permanent appointments

13. Probation.—(1) Every direct recruit to the Lower Division Grade of the Service shall initially be appointed on probation, the period of probation being two years from the date of appointment.

(2) Every person shall, when first appointed to the Upper Division Grade, be on probation for a period of two years from the date of appointment

(3) The period of probation specified in sub-rules (1) and (2) may, if the appointing authority deems fit, be extended or curtailed in any case, but the total period of extension of probation shall not, save where it is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the officer exceed one year.

(4) During probation, a member of the Service may be required to undergo such training and to pass such tests as the Government may, from time to time prescribe

14 Confirmation or continuance of officers on probation.—(1) When a member of the Service appointed to a Grade on probation has passed the tests, if any prescribed (including the typewriting test held by the Selection Board of the Directorate General, Ordnance Factories, or has been specifically exempted by the Government from passing the typewriting test due to physical disability) and has completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible to be substantively appointed or continued therein, as the case may be, in accordance with the provisions contained in the Third Schedule

(2) (a) When a probationer in the Lower Division Grade has passed the tests, if any prescribed (including the typewriting test held by the Selection Board of the Directorate General Ordnance Factories, according to recruitment rules applicable in his case or has been specifically exempted by the Government from passing the typewriting test due to physical disability) and has completed the period of probation to the satisfaction of the appointing authority, he shall be eligible for confirmation in that Grade

(b) Until a probationer is confirmed or is continued under this rule or is discharged or reverted under rule 15, he shall continue to have the status of a probationer.

15 Discharge or reversion of persons on probation.—(1) An officer appointed to the Lower Division Grade of the Service who has no lien on any post under the Government or any State Government shall, while on probation, be liable to be discharged from Service at any time without notice, if—

(i) on the basis of his performance or conduct during probation, he is considered unfit for further promotion in the Service, or

(ii) on the receipt of any information relating to his nationality, age, health, or antecedents, the appointing authority is satisfied that he is ineligible or otherwise unfit for being a member of the Service

(2) An officer appointed to the Lower Division Grade of the Service who holds a lien on a post under the Government or any State Government may, while on probation be reverted to such post at any time in any of the circumstances specified in sub-rule (1)

(3) An officer appointed to the Lower Division Grade of the Service who is not considered suitable for continuance in the Grade during or at the end of the period of probation prescribed in Sub-rule (1) of rule 13 or at the end of the extended period of probation, if any, under sub-rule (3) of that rule, shall be discharged or reverted in accordance with sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be

(4) A member of the Service on probation in the Upper Division Grade who is not considered suitable for continuance in that Grade during or at the end of the period of probation prescribed in sub-rule (2) of rule 13 or at the end of the extended period, if any, under sub-rule (3) of that rule shall be reverted to the Lower Division Grade

16. Seniority.—(1) All permanent officers included in the initial constitution of a Grade under rule 9 shall rank senior to all persons substantively appointed to that Grade with effect from any date after the appointed day, and all temporary officers included in the initial constitution of a Grade under that rule shall rank senior to all temporary officers appointed to that Grade with effect from any date after the appointed day

Provided that if the seniority of any such officers had not been specifically determined before the appointed day, it shall be as determined by the Government.

(2) The seniority inter-se of temporary officers included in the initial constitution of a Grade shall be regulated in the order in which they were appointed to the equivalent existing Grade.

Provided that if the seniority of any such officers had not been specifically determined before the appointed day, it shall be as determined by the Government.

(3) Except as provided in sub-rule (4), the seniority of officers appointed to the two Grades of the Service after the appointed day shall be determined in the following manner, namely :—

I Upper Division Grade

(i) Permanent Officers—The seniority inter-se of officers substantively appointed to the Grade after the appointed day shall be regulated in the order in which they are so appointed to the grade

(ii) Temporary Officers—The seniority inter-se of temporary officers appointed to the grade after the appointed day shall be regulated in the order in which they are so appointed to the Grade on long term basis

II Lower Division Grade

(i) Permanent Officers—The seniority inter-se of officers substantively appointed to the Grade after the appointed day shall be regulated in the order in which they are so appointed to the grade

(ii) Temporary Officers —(a) Persons appointed to the grade after the appointed day shall rank inter-se in the order of merit in which they are placed at the competitive examination on the results of which they are recruited, the recruits of an earlier competitive examination being ranked senior to those of a latter examination :

Provided that the qualified candidates of the competitive examination held in a particular year under clause (a) in column 3, under the heading "Temporary Vacancies" against the "Lower Division Grade (Group 'C' Ministerial)", in the Third Schedule, shall en bloc be ranked junior to the recruits of the competitive examination held in that year under clause (b) of the same

(b) Persons appointed to the Grade in accordance with rule 11 shall rank inter-se according to their dates of appointments

Provided that the persons so appointed to a particular year shall en bloc be ranked junior to the persons recruited on the basis of competitive examinations held in that year.

(4) All officers substantively appointed to a Grade shall rank senior to those holding temporary or officiating appointments in that Grade

17 Pay —The scales of pay attached to the two Grades of service shall be as follows, namely —

(i) Upper Division Grade—Rs 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560

(ii) Lower Division Grade—Rs 260-6-290-EB-6-326-EB-8-390-10-400

Provided that officers appointed to any Grade before the 1st January, 1973, shall be entitled to draw pay in the scale of pay admissible to them in accordance with the provisions of the Civilians in Defence Services (Revised Pay) Rules, 1973

18 Regulation of pay —The pay and increments of officers of the two Grades shall be regulated in accordance with the Civil Service Regulations or other rules relating to pay for the time being in force

19 Regulations —The Government may make regulations not inconsistent with these rules to provide for all matters for which provision is necessary or expedient for the purpose of giving effect to these rules

20 Regulations for the competitive examination —The rules for the competitive examinations referred to in the Third Schedule shall be as determined by regulations made by the Director General, Ordnance Factories

21 Residuary matters.—In regard to matters not specifically covered by these rules or by regulations or orders made or issued thereunder, or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable to the Civil Services in general

22 Power to relax —Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts

23 Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules or the regulations made thereunder it shall be referred to the Government for decision

24 Over-riding effect of the rules —Any rules or orders in force immediately before the appointed day shall not apply to the extent they are inconsistent with or repugnant to these rules

25 Saving —Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

THE FIRST SCHEDULE

[See rules 2(p), 5, 9 and the Third Schedule]

Names of the Headquarters to whom the Directorate General Ordnance Factories Headquarters Clerical Service shall apply .

HEADQUARTERS

1 Directorate General, Ordnance Factories Headquarters

2 Additional Director General, Ordnance Factories/Ordnance Equipment Factories Headquarters, Kanpur

3 Regional Director, Ordnance Factories (Eastern Region Calcutta.

4 Regional Director, Ordnance Factories (Northern Region), Kanpur

5 Regional Director, Ordnance Factories (Central Region), Khamara, Jabalpur

6 Regional Director, Ordnance Factories (Western Region), Kirkee, Poona

7 Ordnance Factories Cell, Ministry of Defence, New Delhi

THE SECOND SCHEDULE

[See rule 4]

Authorised strength of the various Grades of the Directorate General Ordnance Factories Headquarters Clerical Service.

Grades	Authorised permanent strength
(i) Upper Division Grade	206
(ii) Lower Division Grade	261 (including 27 leave reserve posts)

THE THIRD SCHEDULE

[See rules 10, 11, 14 (i) and 16]

Future maintenance of the Service

Grade and Classification	Scale of Pay	Recruitment	Eligibility condition	Probation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Grade (Group 'C' Ministerial)	Rs 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560	Substantive Vacancies —Substantive appointments to substantive vacancies shall be made in the order of seniority of temporary officers of the Grade, who have completed the period of probation satisfactorily, subject to the rejection of the unfit on the recommendations of the appropriate Departmental Promotion Committee		

1	2	3	4	5
		Temporary vacancies —Temporary vacancies in the Grade shall be filled by promotion from Lower Division Grade on the basis of seniority subject to the rejection of the unfit on the recommendations of the appropriate Departmental Promotion Committee : Provided that while considering the cases of officers belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, reservation shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Government from time to time	Persons holding appointments in the Lower Division Grade who have rendered not less than 5 years continuous approved service in the Grade or in an equivalent existing Grade	2 years
Lower Division Grade (Group 'C' Ministerial)	Rs 260-6-290-EB 6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Substantive vacancies Substantive vacancies in the Grade shall be filled from amongst the temporary officers of the Grade, who have either passed the type-writing test for the Grade held by the Selection Board according to the recruitment rules and other Orders as were applicable to them prior to the issue of the Directorate General Ordnance Factories Headquarters Clerical Service Rules, 1977 or have been specifically exempted therefrom by the Directorate General, Ordnance Factories, and who have completed the period of probation satisfactorily, in the order of their seniority, subject to the rejection of the unfit Provided that while considering the cases of officers belonging the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, reservation shall be made in accordance with such instructions as may be issued by the Government from time to time Temporary vacancies —Temporary vacancies shall be filled in the following manner, namely — (a) ten per cent of vacancies may be filled by appointment of Group 'D' employees (borne on the regular establishment of the Headquarters specified in the First Schedule on the bsis of competitive examinations held for the purpose by the Director General, Ordnance Factories :		2 years.

1	2	3	4	5
		Provided that if sufficient number of persons do not become available, the vacancies shall be filled in the manner prescribed in clause (b), (b) ninety per cent of the vacancies or such higher percentage as may be determined by the Government in accordance with the proviso to clause (a) above shall be filled by direct recruitment on the basis of competitive examinations held for the purpose by the Director General, Ordnance Factories Note.— Reservation of vacancies against the quota reserved for direct recruitment, for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and for ex-Servicemen shall be in accordance with the rules and orders issued by the Government from time to time		

[File No. 10(1)/75/I/D (Fy. I) Vol II]
S.K. BHATNAGAR, Joint Secy.

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1977

का० नि० आ० 45.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, बरेली की सदस्यता से मेजर सोहन सिंह के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/17/सी/एल एण्ड सी/65/328-सी/डी० (क्यू एण्ड सी)]

New Delhi, the 31st January, 1977

S.R.O. 45.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Bareilly by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major Sohan Singh.

[File No 19/17/C/L&C/65/328-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 46.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर के० पी० के० नायर को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा मेजर सोहन सिंह के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, बरेली के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/17/सी/एल एण्ड सी/65/328-सी-/1 डी (क्यू एण्ड सी)]

S.R.O. 46.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major K P. K. Nair has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board, Bareilly vide Major Sohan Singh who has resigned

[File No 19/17/C/L&C/65/328-C-I/D(Q&C)]

का० नि० आ० 47—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, देहरादून की सदस्यता से मेजर पी० एस० कुलकर्णी के त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 19/19/सी/एल एण्ड सी/65/329-सी/डी० (क्यू एंड सी)]

S.R.O 47.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Dehra Dun by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Maj. P S. Kulkarni

[File No 19/19/C/L&C/65/329-C/D(Q&C)]

का० नि० आ० 48—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर के० एन० प्रभू को आफिसर कमाण्डिंग स्टेशन द्वारा मेजर पी० एस० कुलकर्णी के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड देहरादून के एक सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/19/सी/एल एण्ड सी/65/329-सी-I/डी (क्यू एंड सी)]

S.R.O. 48.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies Major K N. Prabhu has been nominated by the Officer Commanding the Station, as member of Cantonment Board, Dehra Dun vide Major P. S. Kulkarni who has resigned

[File No 19/19/C/L&C/65/329-CID(Q&C)]

का० नि० आ० 49—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, लेबांग की सदस्यता में श्री बलेश्वर प्रसाद के त्यागपत्र को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्ति हो गई है ।

[फाइल सं० 29/40/सी/एल एण्ड सी/66/327-सी/डी (क्यू एण्ड सी)]

के० पी० भटनागर, अवर सचिव

S.R.O. 49.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Lebong by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri Baleswar Prasad

[File No 29/40/C/L&C/66/327-C/D(Q&C)]

K. P BHATNAGAR, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110006, 1977